



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231314
CG-DL-E-23112021-231314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]
No. 664]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवंबर, 2021

सा.का.नि. 823(अ).—केंद्रीय सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) की धारा 71 की उपधारा (2) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन प्राधिकरण (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2021 (2021 का 1) है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 1 की उपधारा (3) में उल्लिखित महापत्तनों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, किंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है,--

- (i) अधिनियम की धारा 70 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम ; और
- (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित परियोजनाएं या कार्यक्रम ;
- (ग) “कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति” से महापत्तन द्वारा गठित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति अभिप्रेत है ;
- (घ) “कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांत” से महापत्तनों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत अभिप्रेत हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ;
- (ङ) “कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना” से महापत्तन द्वारा आरंभ किए जाने वाले क्रियाकलापों को सूचीबद्ध करने वाली योजना और उस पर व्यय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उक्त महापत्तन के कारबार के सामान्य अनुक्रम के अनुसरण में आरंभ किए गए क्रियाकलाप नहीं हैं ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति—(1) प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा उपवर्णित पात्रता मानदंड को पूरा करता है, ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्तियों से, जो उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट हो, मिलकर बनने वाली कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगा :

परंतु महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड से, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपवर्णित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है या पूरा करने के लिए पात्र नहीं रह जाता है, इन नियमों का उस समय तक अनुपालन किए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, जब तक कि वह मानदंड पूरा नहीं कर लिया जाता है :

परंतु यह और कि महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड से, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, ऐसी अन्य अपेक्षाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपवर्णित हैं।

(2) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का प्रत्येक सदस्य, जो किसी भी रूप में, चाहे स्वयं के द्वारा या अपने नातेदारों में से किसी नातेदार या फर्म, निगमित निकाय या व्यष्टियों के अन्य संगम के माध्यम से, जिसमें वह या उसके नातेदारों में से कोई नातेदार, किसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में सिफारिश किए गए या सिफारिश किए जाने वाली किसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना में कार्यक्रम क्रियाकलाप से संबंधित है या उसमें हितबद्ध है, भागीदार, निदेशक या सदस्य है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक में अपने सरोकार या हित की प्रकृति को प्रकट करेगा, जिसमें ऐसी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना, कार्यक्रम या क्रियाकलाप पर चर्चा की जाती है और ऐसी बैठक में भी तब भाग नहीं लेगा, जब ऐसी परियोजना, कार्यक्रम या क्रियाकलाप से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की जाती है :

परंतु जहां ऐसा कोई सदस्य, जिसका कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में ऐसे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना, कार्यक्रम या क्रियाकलाप की सिफारिश करने के समय इस प्रकार का संबंध नहीं है या वह उसमें हितबद्ध नहीं है, वहां वह यदि उसका संबंध कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना, कार्यक्रम या क्रियाकलाप की

सिफारिश किए जाने के पश्चात् उसका सरोकार होता है या वह हितबद्ध होता है, उसके उससे सरोकार होने या उसमें हितबद्ध होने पर या उसका उससे इस प्रकार सरोकार होने या उसमें हितबद्ध होने के पश्चात् हुई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की पहली बैठक में तुरंत अपना सरोकार या हित प्रकट करेगा।

4. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट और आबंटन—प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का बोर्ड, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ पर ऐसी रीति में, और ऐसे विस्तार तक, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट सृजित करेगा और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों को निधियां आवंटित करेगा।

5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कृत्य--कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति,--

- (क) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना तैयार करेगी और बोर्ड को उसकी सिफारिश करेगी, जो इन नियमों के अनुसार होगी ;
- (ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में सम्मिलित क्रियाकलापों पर उपगत होने वाले व्यय की रकम की बोर्ड को सिफारिश करेगी ;
- (ग) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों को आवधिक रूप से मानीटर करेगी ;
- (घ) ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना--कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :--

- (क) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों, जिन्हें महापत्तन, नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) के कार्यक्षेत्र के भीतर आरंभ करने की योजना बनाती है, की सूची, जिसमें ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उनके लिए कार्यान्वयन अनुसूचियों के सिद्धांतों को विनिर्दिष्ट किया है ; और

- (ख) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए प्रक्रिया को मानीटर करना :

परंतु कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना में महापत्तन के कारबार के सामान्य अनुक्रम के अनुसरण में आरंभ किए गए क्रियाकलाप नहीं हैं।

(2) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना यह विनिर्दिष्ट करेगी कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उद्भूत होने वाला अधिशेष महापत्तन के कारबार लाभ का भाग नहीं होगा।

7. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठकें—(1) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, प्रत्येक वर्ष ऐसी संख्या में बैठकें करेगी, जो वह इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए ठीक समझे।

(2) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की बैठक में सदस्यों की सहभागिता या तो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कान्फ्रेंसिंग या अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों के माध्यम से हो सकेगी, जो सदस्यों की सहभागिता को अभिलिखित या मान्य ठहराने तथा तारीख और समय के साथ ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों की रिकार्डिंग तथा भंडारित करने में समर्थ है।

8. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियोजन, कार्यान्वयन, वित्त पोषण, मानीटरी और रिपोर्टिंग—बोर्ड, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं, कार्यक्रमों या क्रियाकलापों की योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन, वित्त पोषण, मानीटरी और रिपोर्टिंग संबंधी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

[फा. सं. पी.डी.-24015/21/2021-पी.डी.1]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

GSR. 823(E).—In exercise of the powers conferred by clause (r) of sub-section (2) of section 71 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Major Port Authorities (Corporate Social Responsibility) Rules, 2021 (1 of 2021).

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to the Major Ports mentioned in sub-section (3) of section 1 of the Major Port Authorities Act 2021.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021);
- (b) “Corporate Social Responsibility” means and includes but is not limited to:—
 - (i) projects or programs relating to activities specified in section 70 of the Act; and
 - (ii) projects or programs relating to activities as specified in the Corporate Social Responsibility guidelines issued by the Central Government from time to time;
- (c) “Corporate Social Responsibility Committee” means the Corporate Social Responsibility Committee constituted by the Major Port;
- (d) “Corporate Social Responsibility Guidelines” means the guidelines on Corporate Social Responsibility for major ports that may be issued by the Central Government from time to time;
- (e) “Corporate Social Responsibility Plan” means the plan listing the activities to be undertaken by the Major Port and the expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of normal course of business of the said Major Port.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Corporate Social Responsibility Committee.—(1) The Board of each Major Port Authority that fulfills the eligibility criteria as set forth in the Corporate Social Responsibility guidelines shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee in such manner and consisting of such persons as specified in the said guidelines:

Provided that the Board of the Major Port Authority which does not fulfill or ceases to fulfill the eligibility criteria set forth in the Corporate Social Responsibility guidelines shall not be required to comply with these rules, till such time that the criteria is met:

Provided further that the Board of the Major Port Authority which does not fulfill the criteria of the Corporate Social Responsibility guidelines may be required to adhere to such other requirements that are set forth within the Corporate Social Responsibility guidelines.

(2) Every member of the Corporate Social Responsibility Committee who is in any way, whether by himself or through any of his relatives or firm, body corporate or other association of individuals in which he or any of his relatives is a partner, director or a member, concerned or interested in any Corporate Social Responsibility project, program or activity recommended or to be recommended in the Corporate Social Responsibility Plan shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the Corporate Social Responsibility committee, in which such

Corporate Social Responsibility project, program or activity is discussed or considered and shall also not participate in such meeting when the agenda relating to such project, program or activity is discussed:

Provided that where any member who is not so concerned or interested at the time of recommending such Corporate Social Responsibility project, program or activity in the Corporate Social Responsibility Plan, he shall, if he becomes concerned or interested after the Corporate Social Responsibility project, program or activity is recommended, disclose his concern or interest forthwith when he becomes concerned or interested or at the first meeting of the Corporate Social Responsibility committee held after he becomes so concerned or interested.

4. Corporate Social Responsibility budget and allocation.- The Board of each Major Port Authority that fulfills the eligibility criteria given in the Corporate Social Responsibility guidelines shall, at the beginning of each financial year, create a Corporate Social Responsibility budget and allocate funds to the Corporate Social Responsibility projects, programs or activities in such manner and to such extent as may be specified in the Corporate Social Responsibility guidelines.

5. Functions of Corporate Social Responsibility Committee.- The Corporate Social Responsibility Committee shall, -

- (a) formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility Plan which shall be in accordance with these rules;
- (b) recommend to the Board the amount of expenditure to be incurred on the activities included in the Corporate Social Responsibility Plan;
- (c) periodically monitor the Corporate Social Responsibility activities; and
- (d) perform such other functions as may be specified in the Corporate Social Responsibility guidelines.

6. Corporate Social Responsibility Plan.- (1) The Corporate Social Responsibility Plan shall, inter-alia, include the following, namely:-

- (a) a list of Corporate Social Responsibility projects, programs or activities which a Major Port plans to undertake falling within the purview of clause (c) of sub-rule (1) of rule 3, specifying modalities of execution of such projects or programs and implementation schedules for the same; and
- (b) monitoring process for such projects or programs:

Provided that the Corporate Social Responsibility Plan shall not include the activities undertaken in pursuance of normal course of business of a Major Port.

(2) The Corporate Social Responsibility Plan shall specify that the surplus arising out of the Corporate Social Responsibility projects, programs or activities shall not form part of the business profit of the Major Port.

7. Meetings of Corporate Social Responsibility Committee.- (1) The Corporate Social Responsibility Committee shall hold such number of meetings every year as it may deem fit to perform its functions under these rules.

(2) The participation of members in a Corporate Social Responsibility Committee meeting may be either in person or through video conferencing or other audio visual means, which are capable of recording and recognising the participation of the members and of recording and storing the proceedings of such meetings along with date and time.

8. Corporate Social Responsibility planning, implementation, funding, monitoring and reporting.- The Board shall follow the procedure for planning, implementation, funding, monitoring and reporting of Corporate Social Responsibility projects, programs or activities in accordance with the Corporate Social Responsibility guidelines.

[F. No. PD-24015/21/2021-PD-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.